"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर 2002—अग्रहायण 2, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2002

क्रमांक 8219.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 10 स. 2002) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराधा खरे, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 10 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2002

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को संशोधन करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम "भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002)" है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) का अस्थायी संशोधन.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959), जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है, निम्नलिखित संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 3 में संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाय :—

(1) छत्तीसगढ़ के लिए एक राजस्व मण्डल होगा, जिसका एक अध्यक्ष होगा.

(2) राज्य सरकार, अध्यक्ष के अलावा इतने सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगी, जितनी कि वह ठीक समझें.

धारा 11 में संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 11 में प्रयुक्त "आयुक्त (जिसमें अपर आयुक्त भी सम्मिलित है)" शब्दों का लोप किया जाय.

धारा 12 में संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) का लोप किया जाय.

धारा 14 में संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 14 का लोप किया जाय.

धारा 15 में संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 15 का लोप किया जाय.

धारा 29 में संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) का लोप किया जाय.

धारा 30 में संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में प्रयुक्त "आयुक्त" शब्द का लोप किया जाय.

10. (1) मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में प्रयुक्त "आयुक्त" शब्द के स्थान पर शब्द "राजस्व मण्डल" प्रतिस्थापित किये जायें. — धारा 44 में संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में प्रयुक्त "आयुक्त अथवा" शब्दों का लोप किया जाय.

(3) मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) में प्रयुक्त "आयुक्त" शब्द के स्थान पर शब्द "राजस्व मण्डल" किये जायें.

(4) मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) का लोप किया जाय.

11. मूल अधिनियम की धारा 47 के खण्ड (ख) का लोप किया जाय. — धारा 47 में संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाय :— — धारा 49 में संशोधन.

"(3) पक्षकारों को, यदि वे उपसंजात हों, सुनने के पश्चात्, अपील प्राधिकारी उस आदेश को जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा; या वह स्वयं अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जो उस प्रकरण के निपटारे के संबंध में आवश्यक हो.

परन्तु—

अपील प्राधिकारी किसी भी ऐसे मामले को निपटारे के लिये किसी भी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को प्रतिपेषित नहीं कर सकेगा."

13. (1) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "या बंदोबस्त आयुक्त" से पहले प्रयुक्त "या आयुक्त" शब्दों का लोप किया जाय. — धारा 50 में संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के खण्ड (एक) के उपखण्ड (ग) में प्रयुक्त शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" के पहले प्रयुक्त "आयुक्त अथवा" शब्दों का लोप किया जाय.

(3) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के खण्ड (2) में प्रयुक्त शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" से पहले प्रयुक्त "आयुक्त या" शब्दों का लोप किया जाय.

(4) इस मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) में प्रयुक्त शब्द "कलेक्टर" से पहले प्रयुक्त "आयुक्त या" शब्दों का लोप किया जाय.

(5) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) के खण्ड (दो) में प्रयुक्त "बंदोबस्त आयुक्त" शब्दों के पहले प्रयुक्त "आयुक्त या" शब्दों का लोप किया जाय.

(6) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) में प्रयुक्त "बंदोबस्त आयुक्त" शब्दों के पहले प्रयुक्त शब्द "आयुक्त" और शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" के पहले प्रयुक्त "आयुक्त या" शब्दों का लोप किया जाय.

(7) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) के खण्ड (चार) में प्रयुक्त "बंदोबस्त आयुक्त" शब्दों के पहले प्रयुक्त "आयुक्त या" शब्दों का लोप किया जाय.

धारा 51 में संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के परंतुक के खण्ड (एक) में प्रयुक्त "बंदोबस्त आयुक्त" शब्दों से पहले प्रयुक्त "आयुक्त" शब्द का लोप किया जाय.

धारा 114-ए में संशोधन.

15. (1) मूल अधिनियम की धारा 114-ए के पूर्व पार्श्व शीर्षक में शब्द "भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका" के स्थान पर नया पार्श्व शीर्षक "किसान किताब" स्थापित किया जाय.

(2) मूल अधिनियम की धारा 114-ए की उपधारा (1), (2) एवं (3) में जहां कहीं शब्द "भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका" आया हो वहां उसके स्थान पर "किसान किताब" स्थापित किये जायें.

रायपुर
तारीख

राज्यपाल,
छत्तीसगढ़.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बंर 2002

क्रमांक 8219.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 10 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHYADESH
(No. 10 of 2002)

CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ADHYADESH, 2002

An Ordinance to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Promulgated by the Governor in the Fifty-third Year of the Republic of India.

Where as the State Legislature is not in Session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2002 (No. 10 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (Hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the following amendments.

3. Section 3 of the Principal Act, shall be substituted by the following :— **Amendment in Section 3.**

(1) There shall be a Board of Revenue for Chhattisgarh having a President.

(2) In addition to the President, the State Government may appoint as many members as it may deem fit.

4. The following words appearing in Section 11 of the Principal Act shall be omitted :— "Commissioners (including Additional Commissioners)." **Amendment in Section 11.**

5. Sub-section (2) of Section 12 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment in Section 12.**

6. Section 14 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment in Section 14.**

7. Section 15 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment in Section 15.**

8. Sub-section (2) of Section 29 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment in Section 29.**

9. The words "Commissioner, a" appearing in Sub-section (2) of Section 30 shall be omitted. **Amendment in Section 30.**

10. (1) In clause (e) of Sub-section (1) of Section 44 of the Principal Act, for the word "Commissioner". the words "Board of Revenue" shall be substituted. **Amendment in Section 44.**

(2) In clause (g) of Sub-section (1) of Section 44, of the Principal Act the words "Commissioner or the" shall be omitted.

(3) In clause (i) of Sub-section (2) of Section 44, for the word "Commissioner" the words "Board of Revenue" shall be substituted.

(4) Clause (iii) of Sub-section (2) of Section 44 shall be omitted.

11. Sub-section (b) of Section 47 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment in Section 47.**

12. Sub-section (3) of Section 49 of the Principal Act shall be substituted by the following :— **Amendment in Section 49.**

"(3), after hearing the parties, the Appellate Authority may confirm, vary or reverse the order appealed against; or may take such additional evidence as it may consider necessary for passing its order.

Provided that no such order passed by the Appellate Authority shall have the effect of remanding the case for disposal by any Revenue Officer subordinate to it."

13. (1) In Sub-section (1) of Section 50 the words "or Commissioner" appearing before the words "or the Settlement Commissioner" shall be omitted. **Amendment in Section 50.**

(2) In Sub-clause (c) of clause (i) of the proviso to Sub-section (1) of Section 50 of the Principal Act, the words "Commissioner or" appearing before the words "the Settlement Commissinoer" shall be omitted.

(3) In clause (ii) of the proviso to Sub-section (1) of Section 50 of the Principal Act, the words "Commissioner or" appearing before the words, "the Settlement Commissioner" shall be omitted.

(4) In clause (i) of Sub-section (2) of Section 50 of the Principal Act, the words "the Commissioner or" appearing before the words "the Settlement Commissioner" shall be omitted.

(5) In clause (ii) of Sub-section (2) of Section 50 of the Principal Act, the words "the Commissioner or" appearing before the words "the Settlement Commissioner". shall be omitted.

(6) In clause (iii) of Sub-section (2) of Section 50 of the Principal Act the word "Commissioner" appearing before the words, "Settlement Commissioner", and the words "the Commissioner or" appearing before the words "the Settlement Commissioner" shall be omitted.

(7) In clause (iv) of Sub-section (2) of Section 50 of the Principal Act, the words "the Commissioner or" appearing before the words "the Settlement Commissioner" shall be omitted.

Amendment in Section 51.

14. In clause (i) of the proviso of Sub-section (1) of the Section 51 of the Principal Act the word "Commissioner" appearing before the words, "Settlement Commissioner" shall be omitted.

Amendment in Section 114-A.

15. (1) In Section 114-A of the Principal Act, for the marginal heading "Bhoo Adhikar Avam Rin Pustika" the new marginal heading "Kisan Kitab" shall be substituted.

(2) In Sub-Section (1), (2) and (3) of Section 114-A of the Principal Act, for the words "Bhoo Adhikar Avam Rin Pustika", wherever it occurs the word "Kisan Kitab" shall be substituted.

Raipur
Dated

Governor,
Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.